तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
14-10-20	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उप. पूर्व पेशी 12-3-20 को बहस सुनी गई थी कोविड-19 लोकडाउन के कारण आदेश सुनाया नहीं जा सका। पुनः बहस सुनी गई वास्ते आदेश पत्रावली ~~22~~ 22-10-20 को पेश हो। [signature]
22-10-20	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित P.O. Sb बून्दी कलेक्टर मीटिंग में पधारे है वास्ते आदेश पत्रावली 28-10-2020 को पेश हो। [signature]
28-10-20	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित आदेश सुनाया गया वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी [illegible] (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2020.11.20 16:32:30 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, जिला बून्दी (राज.)

वाद संख्या 05/दावा/2017
दायरा दिनांक 10/01/2017

पीठासीन अधिकारी
प्रमोदकुमार(RAS)

1– गोगा आ0 सुमेरनन्द जाति गुसाई निवासी चहिंचा तहसील इन्द्रगढ़,जिला बून्दी राज0

...वादीगण

// बनाम //

1– मोहन आ0 सुमेरनन्द जाति गुसाई निवासी चहिंचा तहसील इन्द्रगढ़,जिला बून्दी राज0

2– सुरेन्द्र आ0 बच्चूनन्द जाति गुसाई निवासी चहिंचा तहसील इन्द्रगढ़,जिला बून्दी राज0

3–नारायण आ0 बच्चूनन्द जाति गुसाई निवासी चहिंचा तहसील इन्द्रगढ़,जिला बून्दी राज0

4–भगवान आयु 14वर्ष आ0 बच्चूनन्द जाति गुसाई नाबालिग जर्ये सरक्षंक भाई सुरेन्द्र आ0 बच्चूनन्द जाति गुसाई निवासी चहिंचा तहसील इन्द्रगढ़,जिला बून्दी राज0

5–रामजोत आ0 बच्चूनन्द जाति गुसाई निवासी चहिंचा तहसील इन्द्रगढ़,जिला बून्दी राज0

6–राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़,जिला बून्दी राज0

..प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 88,89 आर0 टी0 एक्ट व
धारा 136 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थित –सुरेश वर्मा एडवोकेट–(वादी)

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2020.11.20 16:32:30 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय   दिनांकः—28.10.2020

वादी ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर0 टी0 एक्ट व धारा136 एल0 आर0 एक्ट के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश कर कथन किया गया कि वादी एवं प्रतिवादी स.1 लगायत 5 के सहखातेदारी व संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि ख.न. 388 रकबा 0.35 हैक्टर वाके ग्राम झपायता तहसील इन्द्रगढ़,जिला बून्दी में स्थित है जो सुमेरनन्द के खातेदारी की कृषि भूमि थी। सुमेरनन्द की मृत्यु के बाद राजस्व अधिकारीयों एवं कर्मचारीयों ने बिना जांच पडताल किये एवं बिना वादी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये वादी का नाम उसके बडे भाई मोहन प्रतिवादी स. 1 के पिता के रूप में अंकित कर दिया गया। प्रतिवादी स. 1 मोहन के पिता का नाम सुमेरनन्द है और वादी प्रतिवादी स. 1 का सगा छोटा भाई है इस प्रकार वादी का नाम व प्रतिवादी स. 1 के नामों के मध्य वल्द शब्द जानबुझकर अंकित कर दिया गया,जो लिपिकीय त्रुटि,है जिसको सक्षम न्यायालय से दुरस्त कराया जा सकता है। अन्त में प्रार्थना की गई कि वादी का वाद—पत्र स्वीकार किया जाकर डिकी किया जावे ।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजि. किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन बावजूद तामील प्राप्त होने पर उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य शपथ पत्र pw_1 के रूप में पेश किया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 (प्रदर्श 1) ,नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 ग्राम चहिंचा (प्रदर्श 2), नकल जमाबन्दी सम्वत् 2041 से 2044 (प्रदर्श 3), नकल जमाबन्दी सम्वत् 2021 से 2024 (प्रदर्श 4), नकल जमाबन्दी ग्राम झपायता , (प्रदर्श 5),एवं खसरा मिलान क्षैत्रफल सम्वत् 2022 से 2041 (प्रदर्श 6),पेश कर प्रदर्शित कराये गये एवं परिवार राशन कार्ड,आधार कार्ड, व पहचान पत्र कि प्रतियां पेश की गई।

हमारे द्वारा वादी के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वादी के अधिवक्ता के बहस में तर्क दिया गया की वादी के पिता का नाम सुमेरनन्द है, लेकिन राजस्व अधिकारीयों द्वारा वाद विषयक आराजी के राजस्व

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2020.11.20 16:32:30 IST
Reason: SelfAttested

...र्ड में मोहन वल्द गोगा दर्ज कर दिया गया, जो गलत है । मोहन वादी गोगा का भाई है। इस कारण उक्त त्रुटि लिपिकीय त्रुटि है और अन्त में प्रार्थना की गई कि वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जावें ।

हमारे द्वारा वकील वादी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 ग्राम चहिंचा खाता स. 16 का अवलोकन किया गया तो स्पष्ट हुआ कि वादी के पिता का नाम सुमेरनन्द है इसका अंकन इस जमाबन्दी में ख.न. 289 दिनांक 29–06–2017 से हो रहा है। जबकि वाद विषयक आराजी के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी प्रदर्श 1 का अवलोकन किये जाने पर उसमें वादी का नाम मोहन वल्द गोगा के रूप में दर्ज है। वादी द्वारा उसका राशन कार्ड, आधार कार्ड, व पहचान पत्र पेश किया गया जिसमे वादी के पिता का नाम सुमेरनन्द हो रहा है।वाद विषयक आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम मोहन वल्द गोगा के रूप में बिना सक्षम न्यायालय के आदेश से इन्द्राज कर दिया गया जो प्रथम दृष्टया लिपिकीय त्रुटि को प्रकट करता है । इस कारण वादी का दावा स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार इन्द्रगढ को आदेशित किया जाता है कि ख.न. 388 रकबा 0.35 हेक्टर वाके ग्राम झपायता तहसील इन्द्रगढ के राजस्व रिकार्ड में दर्ज मोहन वल्द गोगा के स्थान से वल्द शब्द को विलोपित किया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जाकर मोहन गोगा वल्द सुमेरनन्द दर्ज किया जावे तथा वादी को हिस्सा 1/3 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28–10–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2020.11.20 16:32:30 IST
Reason: SelfAttested

FDडिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(O 20,Rr 6,7)

(civil Procedure Code Appendix D)

अज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी.................. मुकाम.............लाखेरी...............
व इजलास......श्री प्रमोद कुमार (आर. ए. एस.)..
..1 गोगा आ0 सुमेरनन्द जाति गुसाई निवासी चहिंचा .. बनाम..1.. मोहन आ0 सुमेरनन्द जाति गुसाई
तहसील इन्दगढ,जिला बून्दी निवासी चहिंचा ....
........वादीगण....... 2. सुरेन्द्र आ0 बच्चूनन्द जाति गुसाई
निवासी चहिंचा इन्द्रगढ(बून्दी) PTO
प्रतिवादीगण..
दावा बाबत..88,89, आर0 टी0 एक्ट व 136 एल आर एक्ट.

....

मुकदमा नम्बर.........................05 / दावा / 2017.........................सन.....................
...यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू........हमरे..................................व हाजिरी

.... सुरेश वर्मा एडवोकेट एडवोकेट..................मिनजानिब मुदई रूबरू................................
....मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि दावा वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार इन्द्रगढ को आदेशित किया जाता है कि ख.न. 388 रकबा 0.35 हेक्टर वाके ग्राम झपायता तहसील इन्द्रगढ के राजस्व रिकार्ड में दर्ज मोहन वल्द गोगा के स्थान से वल्द शब्द को विलोपित किया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जाकर मोहन गोगा वल्द सुमेरनन्द दर्ज किया जावे तथा वादी को हिस्सा 1/3 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।...............................
....निज...............................मुबलिग......
....बाबत...खर्चा इन मुकदमें के मय सूद बशरह ....
....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....
....................................का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .....28.......माह.. ..10... सन..
2020.......................को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

दस्तखत
ओहदा

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1.स्टाम्प अर्जीदावा			1.स्टाम्प अर्जीदावा		
2.स्टाम्प वकालतनामा			2.स्टाम्प अर्जी		
3.स्टाम्प वजह सबूत			3.महनताना वकील		
4.महनताना वकील			4.खर्चा गवाहॉन		
5.खर्चा गवाहॉन			5.फीस कमिश्नर		
6.फीस कमिश्नर			6.बाबत इजराय हुक्मनामा		
7.बाबत इजराय हुक्मनामा			7.मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2020.11.20 16:32:30 IST
Reason: SelfAttested

PTO PAGE–

3–नारायण आ0 बच्चूनन्द जाति गुसाई निवासी चहिंचा तहसील इन्द्रगढ़,जिला बूंदी राज0

4–भगवान आयु 14वर्ष आ0 बच्चूनन्द जाति गुसाई नाबालिग जर्ये सरक्षक भाई सुरेन्द्र आ0 बच्चूनन्द जाति गुसाई निवासी चहिंचा तहसील इन्द्रगढ़,जिला बून्दी राज0

5–रामजीत आ0 बच्चूनन्द जाति गुसाई निवासी चहिंचा तहसील इन्द्रगढ़,जिला बून्दी राज0

6–राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़,जिला बून्दी राज0

उपखण्ड अधिकारी
प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2020.11.20 16:32:30 IST
Reason: SelfAttested